अंतिम–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 14/2021

जीसीएमएस– 2021/36

दायर दिनांक– 30.03.2021

निर्णय दिनांक– 12.08.2022

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री औंकारसिंह रावत निवासी कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री शंकरसिंह दत्तक पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1.श्री एन.एस.राजावत, अधिवक्ता, वादिया।
2. श्री एस.के.चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं.1
3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या नया 317 पुराना 300 के वर्तमान खसरा नंबर 1087/1480 रकबा 0.05 हैक्ट., ख.नं. 1088 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.नं. 1089 रकबा 0.30 हैक्ट. एवं ख.नं. 1129/1479 रकबा 0.15 हैक्ट. कुल किता 04 कुल रकबा 0.69 हैक्ट. कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2072–2075 के कॉलम संख्या 04 में किये गये इन्द्राजात के अनुसार वादिया श्रीमती ललिता देवी व श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जाति राजपूत के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की रही है, जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का अविभाजित 1/2–1/2 हिस्सा निहित करता है। श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री महावीर सिंह द्वारा अपने अविभाजित 1/2 हक व हिस्से की भूमि का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर नामा0सं0 143 दिनांक 22.02.2016 स्वीकृत किया जाकर श्री लक्ष्मणसिंह के 1/2 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी का इन्द्राज कर दिया गया। वर्तमान जमाबंदी खसरा सं0 317 पुराना 317 के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी सं0

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:16 IST
Reason: SelfAttested

12.08.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

01 संयुक्त खातेदार होकर अविभाजित 1/2–1/2 हक–हिस्सा निहित करता है। जिसके संबंध में राजस्व एजेंसी द्वारा कारित लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर नामा0 सं0 52 दिनांक 17.01.2020 स्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज किया गया है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर शामलात रूप से कृषि किया जाना संभव नही है क्योंकि मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की हकबन्दी को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य बाय मिंटस एंड बांउडस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवायी जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति हेतु यह वाद–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादीया के वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 17.12.2021 को प्रतिवादी सं0 01 की ओर से श्री एस.के.चौधरी द्वारा वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। जिसमें प्रतिवादी सं. 01 जरिये अभिभाषक ने मौके की राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से रिकॉर्ड तलब कर समानता के आधार पर बाय मिंट्स एण्ड बाउन्डस बंटवारा करवाने का निवेदन किया।

तत्पश्चात् दिनांक 27.05.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्रांक/तह.पु/भू.अ./न्याय/2022/1815 दिनांक 11.07.2022 के माध्यम से कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रंग भरकर शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा की सूचना उभयपक्ष अभिभाषक को प्रदान कर पत्रावली को अंतिम बहस हेतु दिनांक 03.08.2022 को तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा पर सहमति जाहिर कर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा कानस की आराजीयात के खाता सं. 317 के ख.नं. 1087/1480 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख.नं. 1088 रकबा 0.19 हैक्ट0, ख.नं. 1089 रकबा 0.30 हैक्ट0, ख.नं. 1129/1479 रकबा 0.15 हैक्ट0 में ललिता पत्नी औंकारसिंह जाति रावत हिस्सा 1/2, शंकरसिंह दत्तक पुत्र जेठाराम जाति जाट हिस्सा 1/2 दर्ज है, का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार तहसीलदार पुष्कर के संलग्न नक्शा ट्रेस व मौका पर्चा (कुर्रेजात रिपोर्ट) अनुसार बने निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:16 IST
Reason: SelfAttested

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	ललिता पत्नी औंकारसिंह जाति रावत सा. देह खातेदार	1087 / 1480 1088 1089 / 1	0.05 0.19 0.1050	पे.ता.IB पे.ता.IB पे.ता.IB	नारंगी (केसरिया)
	कुल	किता 3	0.3450	–	–
2.	शंकरसिंह दत्तक पुत्र जेठाराम जाति जाट सा. लेसवा खातेदार	1089 / 2 1129 / 1479	0.1950 0.15	पे.ता.IB पे.ता.IB	काला
	कुल	किता 2	0.3450	–	–

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 12.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

12.8.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 14 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 36

दायर दिनांक– 30.03.2021

निर्णय दिनांक– 12.08.2022

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री ओंकारसिंह रावत निवासी कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री शंकरसिंह दत्तक पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– **1.श्री एन.एस.राजावत, अधिवक्ता, वादिया।**

2. श्री एस.के.चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं.1

3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–:: अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई::–

वादीया का वाद बाबत् बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा को संलग्न नक्शा ट्रेस व (कुर्रेजात रिपोर्ट) के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन आराजीयात को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर के खाता संख्या 317 कुल किता 4 कुल रकबा 0.69 हैक्ट0 के लिए विभाजन निम्नानुसार है–

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	ललिता पत्नी औंकारसिंह जाति रावत सा. देह खातेदार	1087 / 1480 1088 1089 / 1	0.05 0.19 0.1050	पे.ता.IB पे.ता.IB पे.ता.IB	नारंगी (केसरिया)
	कुल	किता 3	0.3450	–	–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

2.	शंकरसिंह दत्तक पुत्र जेठाराम जाति जाट सा. लेसवा खातेदार	1089/2 1129/1479	0.1950 0.15	पे.ता.IB पे.ता.IB	काला
	कुल	किता 2	0.3450	–	–

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 12.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

12.8.22

सुखाराम पिण्डेल

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:16 IST
Reason: SelfAttested